

अधिसूचना

पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आरक्षित (80 प्रतिशत) सीट स्पॉट राजंड के बाद भी खाली रह जाने के कारण उन खाली बचे सीट को अन्य विश्वविद्यालयों के आवेदकों (जिन्होंने स्पॉट राउंड के लिए आवेदन किया है) के लिए नामांकन हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। इन स्थानों में यदि आरक्षित कोटि का सीट रिक्त रह गया हो तो पहले उसे उसी आरक्षण कोटि के स्पॉट राउंड के आवेदकों से भरने की व्यवस्था होगी और यदि आरक्षण कोटे के आवेदक (स्पॉट राउंड के लिए) उपलब्ध न हों तो फिर उसे अनारक्षित कर भरा जाएगा।

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

ज्ञापांक- Adm/5 47 दिनांक-14-08-24

प्रतिलिपि-1. सभी संकायों के अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय, 2. सभी रनातकोत्तर विभागों के अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय, 3. सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, पटना विश्वविद्यालय, 4. सभी संस्थानों के निदेशक, पटना विश्वविद्यालय, 5. सभी पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय, 6. प्रोफेसर इन चार्ज, आई क्यू ए सी सेल, पटना विश्वविद्यालय, 7. नामांकन कार्य कर रही ऑटोमेशन एजेंसी, 8. सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय, 9. नीजि सहायक, कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, 10. नीजि सहायक, कुलसचिव, पटना विश्वविद्यालय, 11. नीजि सहायक, उपकुलसचिव पटना विश्वविद्यालय, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

108/24